न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–451 / 2020 दायर दिनांक:–28.02.2020

जीसीएगएस नं. 2020 / 00079

सईद पुत्र शफीक जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 हाल निवासी भैंसा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर

———————प्रार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर जिला करौली राज0
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

—————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थानभू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–1.श्री राघवेन्द्र जैमनी वकील प्रार्थी

2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक 22.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0 375 रकबा 22 ऐयर, 351 रकबा 3 ऐयर, 378 रकबा 20 ऐयर, 668 रकबा 13 ऐयर, 670 रकबा 08 ऐयर, 671 रकबा 15 ऐयर, 672 रकबा 15 ऐयर, 550 रकबा 08 ऐयर, 548 रकबा 38 ऐयर, 394 रकबा 19 ऐयर, 370 रकबा 30 ऐयर स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 में स्थित है। प्रार्थी को उक्त आराजीयात बिरासत से प्राप्त हुयी है। प्रार्थी उक्त आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रहे, और निरंतर काश्त करता चला आ रहा है।

उक्त भूमि प्रार्थी को अपने बाबा मजीद पुत्र शफीक से विरासत से प्राप्त हुयी थी। जिसका सजरा निम्न प्रकार है:–

मजीद

शफीक हमीद गफफार रफीक

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:25 IST
Reason: SelfAttested

प्राथी के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी के हिस्से की भूमि का नामतंकरण खुल गया, लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा खसरा न0 550 रकबा 8 ऐयर गैरमुमकिन हिस्सा 1/47 में प्रार्थी का नाम सइद पुत्र शफीक के स्थान पर सद्दीक पुत्र मजीद दर्ज हो गया है। तथा खसरा न0 650, 652 में प्रार्थी का नाम सईद पुत्र शरीफ के स्थान पर शहीद पुत्र शरीफ हो गया है। खसरा न0 351, 378, 668, 670, 671, 672 हिस्सा 1/4 से सईद पुत्र शफीक के स्थान पर शहीद पुत्र मजीद हो गया है। इसी प्रकार खसरा न0 334, 370, 548 हिस्सा 1/4 मे प्रार्थी का नाम सईद पुत्र शफीक के स्थान पर शहीद पुत्र मजीद दर्ज हो गया है। तथा खसरा न0 375 में हिस्सा 1/76 में प्रार्थी का नाम शहीद पुत्र शफीक के स्थान पर सद्दीक पुत्र मजीद दर्ज हो गया है।

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि पर के0सी0सी की किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये बैंक गया, तो पत्रावली बनवाते समय प्रार्थी को उक्त विसंगतियों की जानकारी हुई व जिस बाबत सुधार हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खसरा न0 550 रकबा 08 ऐयर गैरमुमकिन चाह, में हिस्सा 1/47 में प्रार्थी का नाम सईद पुत्र शफीक के स्थान पर सद्दीक पुत्र मजीद, तथा खसरा न0 650, 652 में प्रार्थी का नाम सईद पुत्र शफीक के स्थान पर शहीद पुत्र शफीक तथा खसरा न0 351, 378, 668, 670, 671, 672 हिस्सा 1/4 में सईद पुत्र शफीक के स्थान पर शहीद पुत्र मजीद हो गया है। तथा इसी प्रकार खसरा न0 334, 370, 548 हिस्सा 1/4 में प्रार्थी का नाम सईद पुत्र शफीक के स्थान पर शहीद पुत्र मजीद दर्ज हो गया है, तथा खसरा न0 375 में हिस्सा 1/76 में प्रार्थी का नाम शहीद पुत्र शफीक के स्थान पर सद्दीक पुत्र मजीद हो गया है। जिसकी दुरूस्ती फरमाने के आदेश प्रदार करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन द्वारा जवाब न्यायालय हाजा में पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार हैः–

1. मद स. 1 अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व नकले अपूर्ण संलग्न पत्रावली की है साथ ही नामांतकरण प्रति संलग्न नहीं है। [illegible] की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बरान के इन्द्राज प्रतीत नही होता है।
2. मद स. 2 अस्वीकार है।
3. मद स. 3 अस्वीकार है।
4. मद स. 4 अस्वीकार है।
5. मद स. 5 अस्वीकार है।
6. मद स. 6 अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा न्यायालय में 136 एलआरएक्ट अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया है कि ग्राम कुतकपुर स्थित खसरा न0 650, 652 में प्रार्थी का नाम शहीद पुत्र सफीक खसरा न0 334, 548, 351, 378, 668, 630, 631, 632 में शहीद पुत्र मजीद तथा खसरा न0 550 व 375 में सद्दीक पुत्र मजीद अंकित हो गया जो सईद पुत्र शफीक व शफीक पुत्र मजीद शुद्धि किया जावे। प्रार्थी के द्वारा संलग्न भू प्रबंध रिकॉर्ड अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि साबिक राजस्व नकले वादी द्वारा संलग्न पत्रावली नहीं की है। जिससे नाम के शुद्धि की स्पष्टता तय नहीं होती है।

प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये आधारकार्ड व परिचय पत्र की प्रतियों में नाम की अशुद्धि दर्शिता होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय में वाद में 136 एलआरएक्ट अंतर्गत आवश्यक साबिक राजस्व नकलों, नामांतकरण प्रति संलग्न नहीं किये जाने से नाम की शुद्धि की स्पष्ट विवेचना नहीं किये जाने जवाव प्रार्थना पेश किया

जवाव शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में ग्राम पंचायत गुनसार का पत्र, लीगल नोटिस द्वारा राघवेन्द्र जैमनी, नकल जमाबंदी संवत 2000, नकल जमाबंदी संवत 2046–66 खाता संख्या 132, जमाबंदी संवत 2046–66 खाता संख्या 73,76 मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 306, 305, 153 वाके ग्राम कुतकपुर, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड प्रार्थी पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी संवत 2000, नकल जमाबंदी संवत 2046–66 खाता संख्या 132, जमाबंदी संवत 2046–66 खाता संख्या 73,76 मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 306, 305, 153 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन एवं पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड प्रार्थी पेश किये है। उक्त दस्तावे[illegible] रिकॉर्ड एवं तहसीलदार हिण्डौन के जवाव का विवेचन करने [illegible] खसरा न0 550 रकबा 08 ऐयर गैरमुमकिन चाह, में हिस्सा 1/47 में प्रार्थी का [illegible] सईद पुत्र शफीक के स्थान पर सद्दीक पुत्र मजीद, तथा खसरा न0 650, 652 [illegible] प्रार्थी का नाम सईद पुत्र शफीक के स्थान पर शहीद पुत्र शफीक तथा खसरा न0 351, 378, 668, 670, 671, 672 हिस्सा 1/4 में सईद पुत्र शफीक के स्थान पर शहीद पुत्र मजीद हो गया है। तथा इसी प्रकार खसरा न0 334, 370, 548 हिस्सा 1/4 में प्रार्थी का नाम सईद पुत्र शफीक के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:25 IST
Reason: SelfAttested

शहीद पुत्र मजीद दर्ज हो गया है, तथा खसरा न0 375 में हिस्सा 1/76 में प्रार्थी का नाम शहीद पुत्र शफीक के स्थान पर सद्दीक पुत्र मजीद हो गया है। जिसकी दुरूस्ती हेतु एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे नाम के शुद्धि की स्पष्टता तय नहीं होती है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से अपने प्रा0 पत्र को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बावत आराजी खसरा न0 375 रकबा 22 ऐयर, 351 रकबा 3 ऐयर, 378 रकबा 20 ऐयर, 668 रकवा 13 ऐयर, 670 रकवा 08 ऐयर, 671 रकवा 15 ऐयर, 672 रकवा 15 ऐयर, 550 रकबा 08 ऐयर, 548 रकबा 38 ऐयर, 394 रकबा 19 ऐयर, 370 रकबा 30 ऐयर स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 22/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:25 IST
Reason: SelfAttested